रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 1991/फाल्गुन 8, 1912
No. 77] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 1991/PHALGUNA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1991

सा.का.नि. 99(अ):—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ) तथा (च) तथा धारा 36 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (क्रिया-विधि) नियमावली, 1987 में और आगे संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (क्रिया-विधि) संशोधन नियमावली, 1991 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (क्रियाविधि) नियमावली, 1987 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) के नियम 5 में,

(i) उप नियम (4) में, खण्ड (ख) विलोपित किया जाएगा;

(ii) उप नियम (5) विलोपित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम ii के उपनियम (i) में, खण्ड (iv) के लिए, निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(iv) उसी विभाग के संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से।"

4. उक्त नियमों के नियम 12 में, उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(6) अधिकरण संबंधित पार्टियों को उसी ढंग से दलीलों में संशोधन की अनुमति दे सकता है" जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के नियम 17 के आदेश 6 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है।

5. उक्त नियमों के नियम 16 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) जहां किसी प्रतिवादी अथवा प्रतिवादियों के विरुद्ध आवेदन पर एक पक्षीय सुनवाई की गई हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी अथवा

ऐसे प्रतिवादियों द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर अधिकरण को इस आवेदन को रद्द करने के लिए आदेश देने के लिए अधिकरण को आवेदन किया जा सकता है और यदि ऐसा प्रतिवादी अथवा ऐसे प्रतिवादी अधिकरण को इस बात के लिए सन्तुष्ट कर देते हैं कि नोटिस विधिवत् नहीं दिया गया था, अथवा यह कि उसे अथवा उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था इस समय उन्हें किसी प्रर्याप्ति कारण से रोका गया था तो अधिकरण ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, प्रतिवादी अथवा प्रतिवादियों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश को रद्द किए जाने के आदेश दे सकता है, तथा आवेदन पर कार्यवाही के लिए एक दिन निर्धारित कर सकता है;

परन्तु शर्त यह है कि जहां आवेदन का एक पक्षीय आदेश ऐसे स्वरूप का हो कि इसे केवल एक प्रतिवादी के विरुद्ध अलग नहीं रखा जा सके तो इसे सभी अथवा अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध भी अलग रखा जा सकता है।

और यह भी कि नियम ii के उप-नियम (8) में शामिल किए गए मामलों में अधिकरण आवेदन के एक पक्षीय आदेश को केवल इस आधार पर नजर अन्दाज नहीं कर सकता कि यह आदेश किसी प्रतिवादी अथवा प्रतिवादियों को नहीं दिया गया था"।

6. उक्त नियमों के नियम 17 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"17. पुनरीक्षा के लिए आवेदन :—

(1) पुनरीक्षा के लिए किसी भी याचिका पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक इसे तथा उस आदेश की प्रति को जिसके संबंध में पुनरीक्षा की मांग की गई थी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर दायर न किया जाए।

(2) पुनरीक्षा के लिए किसी भी याचिका पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके साथ यथोचित हलफनामा न लगाया गया हो जिसमें जानकारी---------व्यक्तिगत अथवा अन्यथा तथा उन व्यक्तियों की जानकारी, जिनकी कानूनी सलाह के आधार पर शपथ ली गई है—का स्रोत निर्दिष्ट किया गया हो। जहां तथ्य का कोई प्रमाण पत्र विवाद- ग्रस्त हो वहां पुनरीक्षा याचिका का प्रति हलफनामा भी विधिवत् रूप से शपथ लिया हलफनामा होगा।

(3) जब तक कि संबंधित पीठ द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए, पुनरीक्षा याचिका का निपटान परिचालन द्वारा ही किया जाएगा, जहां पीठ या तो याचिका को रद्द कर दे अथवा कोई निर्देश दे दे तो विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी करना पड़ेगा"

7. उक्त नियमों के नियम 29 में खण्ड (X) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्)—

"(x) आवेदन की विचाराधीनता के दौरान मृतक पार्टियों कानूनी प्रतिनिधियों के स्थानापन्न के लिए मृत्यु की तारीख से 90 दिन के भीतर आवेदन प्राप्त करना"।

[सं. ए.-11019/44/87-प्रशा. अधि.

एस.एम. सहारियार, डेस्क अधिकारी (प्र.अधि.)

टिप्पणः—मुख्य नियम दिनांक 6-1-1987 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 17(ई) द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में दिनांक 11 अक्तूबर, 1987 की अधिसूचना सा.का.नि.सं. 1000 (ई) द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 1991

G.S.R. 99 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 5 of the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules).—

i in sub-rule (4), clause (b) shall be omitted ;

(ii) sub-rule (5) shall be omitted.

3. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (1), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely :—

"(iv) through the concerned head of Office of the same Department."

4. In rule 12 of the said rules, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be added, namely :—

"(6) The Tribunal may permit the parties to amend the pleadings in the same manner as provided under Order 6, Rule 17 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

5. In rule 16 the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Where an application has been heard ex-parte against a respondent or respondents, such respondent or respondents may apply within 30 days from the date of the order to the Tribunal for an order to set it aside and if such respondent or respondents satisfy the Tribunal that the notice was not duly served, or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when application was called for hearing the Tribunal may make an order setting aside the ex-parte order as against him or them upon such terms as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the application :

Provided that where the ex-parte order of the application is of such nature that it cannot be set aside as against one respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also :

Provided further that in cases covered by sub-rule (8) of rule 11, the Tribunal shall not set aside ex-parte order of an application merely on the ground that it was not served upon a respondent or respondents".

6. For rule 17 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"17. Application for review :—

(2) No petition for review shall be entertained unless it is filed within thirty days from the date of receipt and copy of the order of which the review was sought.

(2) No petition for review shall be entertained unless it is supported by a duly sworn affidavit indicating therein the source of knowledge—personal or otherwise and also those which are sworn on the basis of the legal advice. The counter affidavit in Review Petition will also be a duly sworn affidavit wherever any averment of fact is disputed.

(3) Unless ordered otherwise by the Bench concerned a review petition shall be disposed of by circulation where the Bench may either reject petition or direct notice to be issued to the opposite party."

7. In rule 29 of the said rules, for clause (x), the following clause shall be substituted, namely :—

"(x) To receive applications within ninety days from the date of death for substitution of legal representatives of the deceased parties during the pendency of the application."

[No. A-11019/44/87-AT]

S. M. SAHARIAR, Desk Officer (AT).

NOTE :—The principal rules were published vide Notification G.S.R. No. 17 (E), dated 6-1-1987 and subsequently amended vide Notification G.S.R. No. 1000 (E), dated 11th October, 1987.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991